तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज खेमसिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर तृतीय जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 128/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.08.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमसिंह पुत्र गणपतसिंह निवासी शिकारपुरा, तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.06.19 में उसके द्वारा (1) एडीएम तृतीय के पत्र कमांक एडीएम/तृतीय/जो./अवाप्ति/2017/45 83 दिनांक 27 दिसम्बर 2017 के अनुसार ग्राम कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर के ख.नं. 603 में प्रार्थी श्री गणपसिंह पुत्र मानसिंह के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 65 के चौड़ाईकरण में प्रभावित हुआ है मुआवजा हेतु प्रस्तुत सम्पूर्ण पत्रावली की नियमानुसार प्रमाणित छाया प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर तृतीय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर तृतीय जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर तृतीय जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	